न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2016-00040RAAJodhpur2016-91RTA225 Bhanwarsingh ors Vs Likhamaram etc

01. भंवरसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह
02. बलवंतसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- उदयनगर {देणोक}, तहसील लोहावट (वर्तमान बापिणी), जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. लिखमाराम पुत्र श्री चेतनाराम
2. मूलाराम पुत्र श्री भगवानराम उर्फ मगनाराम के कायम मुकामः -
   2.1. जेठाराम पुत्र श्री मूलाराम
3. सोनाराम पुत्र श्री मगनाराम
4. फूसाराम पुत्र श्री मगनाराम
   सभी जातियान् भील, निवासीगण- ग्राम उदयनगर { देणोक}, तहसील लोहावट (वर्तमान बापिणी), जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार लोहावट, तहसील लोहावट, {वर्तमान बापिणी} जिला जोधपुर।
6. हल्का पटवारी, पटवार मण्डल देणोक, तहसील लोहावट (वर्तमान बापिणी)।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 303/2012 लिखमाराम व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 व 2/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

नि र्ण य

दिनांक : 31 जनवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 303/2012 लिखमाराम व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अगस्त 2016 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 589 रकबा 105.07 बीघा एवं खसरा नं. 588 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी तथा खसरा नं. 590 रकबा 9.17 बीघा ग्राम उदयनगर में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 595 रकबा 193.12 बीघा तथा रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार के खेत खसरा नं. 594 रकबा 26 बीघा में सें प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार 25 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट्स ने जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा फलोदी में रखकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 के जरिये <u>प्रार्थीगण/रेस्पो</u> संख्या एक व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना ही एकतरफा निर्णय किया गया है, क्योंकि सहायक कलक्टर फलोदी में तारीख पेशी दिनांक 01.08.2016 की नियत थी, उससे पहले ही दिनांक 15.07.2016 को निर्णय कर दिया, जो अधीनस्थ न्यायालय के ऑर्डरशीट से स्पष्ट है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश किया, जिस पर दिनांक 15.07.2016 को मिसल तलब कर उसी दिनांक को राजस्व लोक अदालत कैम्प न्यायालय फलोदी में ही निर्णय कर दिया, जबकि तारीख पेशी दिनांक 01.08.2016 को नियत थी, ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। रेस्पो./प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251-ए आर.टी.एक्ट, जिसमें खसरा नं. 589, 588 ग्राम उदयनगर के खाता संख्या 115 पुराना खाता संख्या 288 में सभी खातेदारान् को पक्षकार ही नहीं बनाया गया, जिसमें खातेदार भोमाराम, पेमाराम, लिखमाराम, लालाराम, रूपाराम पिता चेतनराम खातेदारान् है, सिर्फ लिखमाराम द्वारा ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जबकि अन्य सहखातेदार है तथा सभी का हक हिस्सा, कब्जा-काश्त है एवं भूमि का बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है और न ही तरमीम है, ऐसी स्थिति में सभी खातेदारान् का हित निहित होते हुए भी उनका हिस्सा प्रभावित होगा, सभी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स/अप्रार्थी भंवरसिंह व फुसाराम की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रार्थीगण लिखमाराम के खेतो की पूरब दिशा में अप्रार्थी संख्या एक व दो का खेत ही नहीं है, प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अप्रार्थीगण के खेत के अलावा रास्ता है जो बरजासर व नवसृजित राजस्व ग्राम थाटो की ढाणी के खसरा नं. 359 गैर मुमकिन नाडी व उसमें चारो तरफ की सरहद उदयनगर की लगती है, खसरा नं. 360 की 55.17 बीघा भूमि पड़त है, पंचायत की भूमि के बिलकूल चिपता ही पूर्व दिशा में खसरा नं. 360 में होकर रास्ता पर शुरू से आज तक आवागमन है, पानी की टंकी प्रार्थीगण व अप्राथी संख्या तीन व चार के खेत खसरा नं. 589 व 594 की सीमा पर बनी हुई है जो उन्ही के खेत में बनी हुई है। प्रार्थीगण अपीलांट्स के खेत के टुकड़े करवाना चाहते है जो कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के खेतो के बीच में सें गलत रास्ते की मांग करते है तथा नया रास्ता सुविधा के लिए चाहते है जो कानूनन गलत होने से नहीं दिया जा सकता है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 02.06.2016 में भी उल्लेख किया गया है कि मौके पर रास्ता चालू हालत में नहीं है, पटवारी द्वारा संपूर्ण मौके की स्थिति सभी खसरों की नही बनाई तथा कानूनन पटवारी से उपर के पद भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से रिपोर्ट मंगवायी जावे। उपखण्ड अधिकारी आर.टी.एक्ट के तहत बने बने नियम 69 के तहत रास्ते के प्रकरण भू-अभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर मामले का निस्तारण कर सकता है। वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने नियम 69 की पालना ही नही की तथा न ही नियमानुसार रिपोर्ट तलब की तथा प्रार्थना पत्र में सभी आवश्यक खातेदारान् को पक्षकार ही नहीं बनाया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया, ऐसी स्थिति में निर्णय अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 को निरस्त किये जाने आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

फरमावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2022{2}आर. आर.टी. पेज 1096, 2018{1}आर.आर.टी. पेज 574, 2022{2}आर.आर.टी. पेज 938 की न्यायिक नजीरे पेश की गई।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. पक्ष को सुनकर प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान परिशीलन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक मामले का लोक अदालत की भावना से निस्तारण हेतु पत्रावली को दिनांक 13.06.2016 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 केम्प देणोक में रखी गई। मामले का लोक अदालत की भावना से निस्तारण नहीं होने पर पुनः पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.08.2016 रखी गई। इसी दरम्यान प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 15.07.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मिसल तलबी पर प्रकरण में उसी दिन सुनवाई किया जाना पाया जाता है। पत्रावली के अवलोकन मुताबिक मामले में शीघ्र सुनवाई किये जाने की सूचना/प्रार्थना पत्र की प्रति अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को दिया जाना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना केवल प्रार्थीगण को सुनकर अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत स्वीकार किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में बताये गये रास्ते के विकल्प बावत मौका रिपोर्ट तलब किये बिना केवल प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये विकल्प के रास्ते का पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.06.2016 के आधार पर स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के आलोक में नियम 69 में विहित प्रावधानों अनुसार रास्ते के मामले में भू-अभिलेख निरीक्षक से निम्न पद के कार्मिक द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पटवारी हल्का देणोक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित किया जाना पाया जाता है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के तथ्य हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होने से मामले पर लागू होती हैं। इन परिस्थितियों में विचारण द्वारा प्रदत अपीलाधीन रास्ता अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना, विधिनुसार मौका रिपोर्ट तलब किये बिना तथा मौके पर उपलब्ध सभी वैकल्पिक रास्तो की जांच किये बिना पारित किया जाना पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधी आदेश दिनांक 15 जुलाई 2016 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में सभी सहखातेदारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स के खेत खसरा नं. 588, 589 एवं 590 में आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाबत उभय पक्ष की उपस्थिति में नियमानुसार मौका रिपोर्ट तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22 फरवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-01-2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर